बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संoसंo–04/STA(विविध)-11/2018 --------8089 पटना, दिनांक– 20/12/18

आदेश

राज्य की सड़कों पर बिना परमिट के वाहनों के परिचालन पर रोक लगाना सरकार की प्राथमिकता है। बिना परमिट के वाहनों का परिचालन अवैध रूप से किये जाने संबंधी सूचना प्रायः विभाग को प्राप्त होती रहती है। बिना वैध परमिट के वाहनों का परिचालन किये जाने से राज्य के राजस्व की क्षति होती है तथा अन्य वाहन स्वामियों को, जो वैध परमिट पर वाहनों का परिचालन करते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है।

इस संबंध में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 48 जो निबंधन के आवेदन के प्रारूप 23–A से संबंधित है, की कंडिका 23 में वाहन के परमिट से संबंधित विवरण भी समर्पित करना है। बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम–5(3) जो वाहन के कर दायित्व के संबंध में घोषणा पत्र के प्रारूप B(1) से संबंधित है, की कंडिका–13 में भी, वाहन के परमिट के संबंध में सूचना समर्पित की जानी है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य में निबंधित होने वाले व्यावसायिक वाहनों यथा बस, ट्रक, टेम्पो, जीप, तेल टैंकर आदि के निबंधन के समय ही जिला परिवहन कार्यालय के एक्सटेंशन काउन्टर पर उक्त वाहनों के लिए परमिट संबंधी आवेदन निर्धारित शुल्क सहित निश्चित रूप से प्राप्त किया जाय। परमिट संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों को छांटकर परमिट स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकार को तीन दिन के अन्दर प्राप्त करा दिया जाएगा। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

18/12
सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8089 पटना, दिनांक–20/12/18

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12
सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 8089 पटना, दिनांक–20/12/18

प्रतिलिपि :–सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सचिव परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/12
सचिव
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।